977

संख्याः ~~636~~ /35–1–2012–2/1(61)/2011

प्रेषक,

विजय कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

महानिदेशक,
राज्य नियोजन,
राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0,
योजना भवन,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1

लखनऊः 12 सितम्बर, 2012

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–4) में नियोजन विभाग के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2008) के दसवे प्रतिवेदन (भाग–4) में नियोजन विभाग के सम्बन्ध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याःवे0आ0– 1846/दस–54 (एम)/2008 टी0सी0, दिनॉक 10 अक्टूबर, 2011 द्वारा संसूचित निर्णय के क्रम में राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ0प्र0,लखनऊ में निम्नवत पुर्नगठन तत्कालीक प्रभाव से लागू किये जाने की श्री राज्य पाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– संयुक्त निदेशक के 20 प्रतिशत पदों पर वरिष्ठ शोध अधिकारी (अभि0) तथा 80 प्रतिशत पदों पर वरिष्ठ शोध अधिकारी(प्रा0) के पदों से पदोन्नति की जायेगी।

2– राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में गठित/स्थापित पॉच प्रभागों यथा जनशक्तिनियोजन प्रभाग, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, दीर्घ कालीन योजना प्रभाग, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना मानीटरिंग एवं कास्ट मैनेजमेन्ट प्रभाग को नवीन प्रभाग के अन्तर्गत उप प्रभाग के रूप में होगें तथा प्रमुख सचिव नियोजन स्वयॅ इसके पदेन महानिदेशक होगें।

2– उपर्युक्तानुसार सेवानियमावली में संशोधन की कार्यवाही पृथक से यथाशीघ्र कर ली जायेगी ।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–वे0आ0–1–626/दस–2012 , दिनॉक 31 अगस्त, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

क्रमशः2

संख्याः 977 (1)/35–1–2012–2/1(61)/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– कार्मिक अनुभाग–2
4– नियुक्ति अनुभाग–1
5– वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–1
6– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
7– निदेशक, एन0आई0सी0,छठां तल,योजना भवन,लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।
8– गार्ड बुक।

आज्ञा से,
RSewak
(राम सेवक)
अनु सचिव।